न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चेतराम बनाम मनोज मु.नं.–20/23 किस्म – दावा	

2.12.25

अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक–26.12.25 को पेश हो। (sd)

26.12.25

अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.01.26 को पेश हो। (sd)

22.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो।

(sd)

17.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण एवं उनके वकील द्वारा तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर अनापत्ति जाहिर की एवं उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री हेतु निवेदन किया। निर्देश स्वीकार कर दावा वादीगण विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय व अंतिम डिक्री के खाता विभाजन का राजस्व रिकार्ड में ~~अमल~~ अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा ~~डिक्री~~ नियमानुसार जारी हो।

श्रीमानजी FD करवादी जावे (सरकारी) [illegible] हस्ताक्षर [illegible]

(sd)

(मधु [illegible] [illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज चेतराम बनाम मनोज मु.नं.– 20/23 किस्म – दावा	नम्बर अहका की हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
20 / 2023

तारीख रजू
23.05.2023

तारीख निर्णय
17.02.2026

बउनवान

1. चेतराम पुत्र मांग्या, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. यादराम पुत्र मांग्या, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..**वादीगण**

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र हरबक्ष, निवासी सेड मोहल्ला गॉव मण्डावर, तहसील मण्डावर, दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..**प्रतिवादीगण**

उपस्थित

1. अभिभाषक वादीगण – श्री मधुसूदन सैनी ।

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा में दिनांक 22.04.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मण्डावर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.09.2025 प्राप्त हुआ जिस पर विद्वान अभिभाषक वादीगण ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इसलिए दावा वादीगण, विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है –

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे.(हैक्टे.)
1.	चेतराम पुत्र मांग्या हि. 1/2, यादराम पुत्र मांग्या हि. 1/2 जाति माली सा.देह	981/1	0.08
		996/1	0.05
		किता 02	**0.13**
2	मनोज कुमार पुत्र हरबक्स हि. पूर्ण जाति माली सा. देह	981/2	0.08
		996/2	0.05
		किता 02	**0.13**

2. तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक निर्णय व अंतिम डिक्री के खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी करें।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

3. निर्णय दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **चेतराम वगै. बनाम मनोज कुमार वगै.**

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 20/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री मधुसूदन सैनी, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा सं. 981, 996, कुल किता 02, कुल रकबा 0.26 हैक्टे. वाके ग्राम मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा का खाता विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है –

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे.(हैक्टे.)
1.	चेतराम पुत्र मांग्या हि. 1/2, यादराम पुत्र मांग्या हि. 1/2 जाति माली सा.देह	981/1	0.08
		996/1	0.05
		किता 02	**0.13**
2	मनोज कुमार पुत्र हरबक्स हि. पूर्ण जाति माली सा. देह	981/2	0.08
		996/2	0.05
		किता 02	**0.13**

नोट – जिस खातेदार की भूमि बैंक में रहन है, उस भूमि का ऋण अदायगी तक रहन का अंकन यथावत रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा......			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)